

नगर पारिषद, दौसा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापति प्रमाण पत्र

LSG/DAUSA/FIRENOC/2023-24/20443

आवेदन नं.:

14-JUL-2023

जारी दिनांक:

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती:

YOGENDRA SINGH SECRETARY BHARTIYA SAMAJIK

VIKAS SAMITI

N.H.-21, NANGAL BAIRSI ROAD, DAUSA

विषय:- अविनशमन अनापति प्रमाण पत्र जारी करने वाले आवेदक का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापति उपरोक्त सुरक्षा उपकरण सही पाए अतः उपरोक्त सुरक्षा ट्यूबस्ट्या के अनुसार निचले शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः-

1. अनापति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही माल्य होगा। एक वर्ष बाद अवापति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापति उपरोक्त सारी जावेगी। अवन के समस्त स्टाफ व स्थिक्योस्टी गाइड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अविनशमन विभाग का प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
2. अविनशमन उपकरण सामयिकीय में रीफिल कराना होगा।
3. विरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
4. यदि याज्ञ सरकार या निगम द्वारा अविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं होगा।
5. अवन का सुरक्षा अविनशमन अधिकारी द्वारा कभी भी विरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि इस्थिति में यह अभिवृत्त पत्र निरस्त काना जाएगा।
6. पार्टी के टैक हर समय भरे रखने होंगे व पर्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
7. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का एक रखाव व सचालन करना अविवाय होगा।
8. फायर बाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवशेष रहित रखना होगा।
9. अवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति जलनशील पदार्थ वही रखा जावे।
10. रोप लेडर व दो रस्सा अवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखवा होगा।
11. यह अविन युरक्षा प्रमाणपत्र अविन सुरक्षा की दृष्टि से ही माल्य होगा।
12. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. यह अनापति प्रमाण पत्र लकड़ौप रेस्टरेट के लिए माल्य नहीं है। जिस भाग के लिए अवापति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर लकड़ौप रेस्टरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
14. यह अनापति प्रमाण पत्र लकड़ौप रेस्टरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

अविनशमन अधिकारी
सहायक अविनशमन अधिकारी
नगर पारिषद, दौसा

Secretary
Vidya Shakti Public School
Vidya Shakti Public School
NH-11, Nangal Bairsi Road
Nagaur (Raj.)



Signature valid

Digitaly signed by Yashwamitra Meena
Designation : DCI/EP | Commissioner
Date: 2023-07-14 4:32:29 IST
Reason: Approved